

**समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।**

अवगत कराना है कि विभाग में पंजीकृत व्यापारियों हेतु मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में कमिश्नर, महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है। MIS रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर/ आहरण वितरण अधिकारी/ संयुक्त आयुक्त/ अपर आयुक्त के स्तर पर बहुत से प्रकरण लम्बित दर्शित हो रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में आयुक्त महोदया द्वारा अत्यन्त रोष प्रकट करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी को दिये हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र कराये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि MIS रिपोर्ट में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकें।



(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त खण्डाधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र सं0-बजट-सामान्य- (2022-23) /

806

/ राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 26/12 2022

समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि विभाग में पंजीकृत व्यापारियों हेतु मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में कमिश्नर, महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है। MIS रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर/ आहरण वितरण अधिकारी/ संयुक्त आयुक्त/ अपर आयुक्त के स्तर पर बहुत से प्रकरण लम्बित दर्शित हो रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में आयुक्त महोदया द्वारा अत्यन्त रोष प्रकट करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी को दिये हैं।

अतः उक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र कराये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि MIS रिपोर्ट में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकें।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त खण्डाधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।